न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 172/2021 तारीख रजू 01.04.2021

कैलाश पुत्र काना जाति जाट निवासी बहराण्डा कलॉ तह0खण्डार। ––– अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ। –––– रेस्पो0

निर्णय दिनांक 10/5/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ द्वारा मिसल संख्या 12/2021 मे पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बहराण्डा कलॉ के आराजी खसरा नम्बर 1398/38 रकबा 3.00 बीघा किस्म चरागाह पर संवत 2077 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त करने कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली अप्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस बार पर भी ध्यान नहीं दिया है कि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को कोई सम्मन नोटिस जारी नही किया है तथा नहीं अपीलान्ट की तामील हुयी। अगर अपीलान्ट की तामील हो जाती तो अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में अपनी साक्ष्य सबूत एवं जवाबदेही पेश करता किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सिद्वान्तो के विपरीत जाकर अपना निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह उक्त खसरा नम्बर 1398/38 रकबा 3 बीघा किस्त चरागाह वाके ग्राम बहराण्डा कलॉ पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा नहीं अपीलान्ट कोई

अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 14:05:36 IST
Reason: SelfAttested

पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है, मात्र पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर अपीलान्ट को आर्थिक दण्ड से सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। यह भी निवेदन किया है कि पाश्चतवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता । अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्ट को नोटिस की तामील करायी गयी अपीलान्ट बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 22.2.2021 को उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नही दिया गया है मान्य नही है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से मै सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 में बेदखली,शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है तथा सजा माफ की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10/5/2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 14:05:36 IST
Reason: SelfAttested